रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 46 ● अंक – 16 ● कानपुर 16 से 31 अगस्त 2024 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बढ़ते कदम

निरन्तर बढ़ रहे हैं सफ़लता की ओर

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है अधिकार पूर्वक इस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय किया जा सकता है, बशर्ते ! जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो वह उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन कर रहा हो, जो लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इस पर अभी कोई कानून प्रभावी नहीं है यह नितान्त भ्रामक व असत्य है क्योंकि चिकित्सा राज्य का विषय होता है और जो चीज जहाँ से नियन्त्रित की जाती है उसे वहीं से नियन्त्रित होना चाहिये, यह सत्य है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के लिए स्पष्ट आदेश कर दिये हैं लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि केन्द्र सरकार आदेश करती है और राज्य सरकार आवश्यकतानुसार जनहित में उनका अनुपालन कराती है, आपको बताते चलें कि चिकित्सा व्यवस्था को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए 18 अगस्त, 2010 को केन्द्र सरकार द्वारा क्लिनिकल स्टेबलिश्मेन्ट एक्ट नामक अधिनियम बनाया गया था जिसे हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ लागू करना था।

14 वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में यह कानून प्रभावी नहीं है ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का आदेश 21 जून, 2011 को जारी हुआ था इस आदेश का पालन भी देश के हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश को अनुपालन हेतु निर्देश दिये गये हैं, 13 वर्ष बीत जाने के बाद देश के एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में ही इस आदेश का क्रियान्वयन हो सका है 11 राज्यों में इस आदेश के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बड़ी सुस्त गति से चल रही है।

शेष राज्यों ने अभी इस आदेश के क्रियान्वयन की पहल तक भी नहीं की है, ऐसे में हम सब लोगों को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिये , ऐसा इसलिए होना चाहिये क्योंकि जब तक प्रत्येक राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए राज्य स्तरीय आदेश जारी नहीं होते हैं तब तक उस राज्य में स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता है और जब तक चिकित्सक को स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है तब तक वह अपनी निजी क्षमतानुसार कार्य नहीं कर सकता है और जो कार्य पूरी क्षमता के साथ नहीं किये जाते हैं निश्चित रूप से उन कार्यों के परिणाम भी कभी अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं।

आज की तिथि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ऐसे कार्य किये जायें जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़े उदाहरण स्वरूप रोग से पीड़ित मनुष्य की एक मात्र इच्छा यही होती है कि शीघ्र से शीघ्र वह जिस चिकित्सक से चिकित्सा ले रहा है वह उसे रोगमुक्त करे, पैथी के बारे में तभी रोगी की अच्छी राय बनती है, एक बात तो बहुत सामान्य है वह यह है कि रोगी अपने चिकित्सक के पास पूरे भरोसे के साथ जाता है और वह विश्वास रखता है कि उसका चिकित्सक उसे शीघ्र रोगमुक्त करके आराम दिलायेगा, जब रोगी को आराम मिल जाता है तब वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने चिकित्सक और उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली चिकित्सा पद्धति की प्रंशसा करते नहीं थकता है, यह सब बातें सुनने और कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन मूल रूप में उन्हें पाने के लिए जो करना पड़ता है वह शायद नहींकिया जा रहा है और न संस्थाओं द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, आज हर व्यक्ति प्रगति की दौड़ में दौड़ा जा रहा है सफ़लता मिले ! कैसे मिले ? इसके लिए कोई व्यवस्था निर्मित नहीं है और जब बिना व्यवस्थाओं के सफ़लता प्राप्त का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति संदिग्ध रहती है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी निर्विवाद रूप से अधिकार प्राप्त है परन्तु अपने अधिकारों को हम कैसे उपभोग करें ? यह जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं आज महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से लगातार सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि इन दोनों राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाण पत्र धारकों की क्लिनिकों पर छापे पड़ रहे हैं और उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा रही है, निश्चित रूप से जब इस तरह के समाचार हमारे पास आते हैं तो कष्ट होता है लेकिन जब हम उनके मूल कारणों पर जाते हैं और जो तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर यह तथ्य चिन्तनीय होते हैं हम पिछले कई वर्षों से पूरे देश को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता को समझें और उसी के अनुसार आचरण करें सब लोगों को यह पता होना चाहिये कि चिकित्सा करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है अर्थात जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है उसे उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही होता है।

आज यह मूल समस्या है कि भारत वर्ष के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय पंजीयन किसी न किसी रूप में अवश्य लागू है, उसका स्वरूप चाहे जो हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ विडम्बना यह है कि आज भी राज्य स्तरीय परिषदों की तुलना में केन्द्रीय परिषदों का दबदबा ज़्यादा है जब कि राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अपने राज्य में विधि सम्मत ढंग से स्थापित राज्य स्तरीय परिषद में पंजीयन होना चाहिय, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को लगातार परेशान कर रहा है आज भी देश में ऐसी कुछ संस्थायें हैं जो राष्ट्रीय पंजीकरण के आधार पर ही पूरे देश में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती हैं और अपने इस दावे के पक्ष में यह तर्क देती हैं कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक राज्य स्तरीय पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सत्य यह है कि जो संस्थायें केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करती हैं और केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में तथ्य देती हैं वे यथार्थ के धरातल से बिल्कुल अलग होती हैं जो संस्थायें केन्द्रीय अधिकार की बात करती हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने विचारों को वैधानिकता के तराजू पर रखकर तौलें फिर यह तय करें राज्य स्तरीय पंजीयन की आवश्यकता है कि नहीं है ?

मान्यता और पंजीयन दोनो अलग अलग बाते हैं मान्यता प्राप्त चिकित्सक यदि चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो उन्हें भी उस राज्य में पंजीयन कराना होता है जिस राज्य में वह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक अपने लिए कैसे अलग रास्ता बताते हैं यदि हम चिकित्सा व्यवसाय हेतु राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करें तो हमें कार्य करने में किसी तरह की कोई असुविधा न होगी, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में जिन चिकित्सकों के साथ घटनायें घट रही हैं निश्चित रूप से वे वह सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये पहली बात तो अधिकांश चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निष्ठावान ही नहीं हैं दूसरी बात यह चिकित्सक कभी भी अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक रूप में घोषित ही नहीं करते हैं, हमारे चिकित्सकों को पता नहीं क्यों अपने स्वरूप से स्नेह नहीं है या तो उनमें हीन भावना है या फिर उनका दृष्टिकोण संकुचित हो चुका है।

यदि हम अपने साइन बोर्ड पर यह स्पष्ट उल्लेख करें कि यह क्लीनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की है और इस क्लीनिक को संचालित करने वाला चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथ है तो यकीन मानिये आधी समस्या का समाधान तो प्रारम्भ में ही हो जायेगा, अगली समस्या आती है चिकित्सकीय पंजीयन के साथ साथ स्थानीय पंजीयन की, यदि हम इनकी प्रपूर्ति कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक हम अपने आप को इस रूप में नहीं ढालते हैं तो हमारी परेशानी आसानी से दूर होती नहीं दिखती, सारी प्रपूर्ति के बावजूद भी यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो इसका स्थानीय स्तर पर संगठित रूप से पुरज़ोर विरोध होना चाहिये और सामूहिक रूप से अपनी अधिकारिता भी सिद्ध करनी चाहिये, हम यही यही निवेदन करना चाहेंगे कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकार के साथ अपनी प्रैक्टिस करे लेकिन विधि सम्मत ढंग से।

परेशानी आज नहीं तो कल अवश्य दूर होगी लेकिन आप द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जिससे कि परेशानियां स्वयं निमन्त्रित हो जायें, हमारी अपेक्षा है कि हर चिकित्सक सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मूल तथ्यों पर विचार करेगा और ऐसी रणनीति बनायेगा जिससे कि वह किसी प्रकार से पीड़ित न हो ।

- स्थानीय पंजीयन को दें प्रमुखता
- पूरे मनोबल के साथ करें चिकित्सा
- प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों में नई उमंग
- अपनी प्रस्तुति इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रूप में करें
- वैधानिकता को दें प्रमुख स्थान

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चली सरकारीकरण की ओर

मार्च 1953 के पत्र की पुष्टि के साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का जो आन्दोलन आरम्भ हुआ था विभिन्न स्तरों से होता हुआ पहले अन्तरविभागीय समिति तक पहुँचा जो अभी भी वहीं खड़ा हुआ है वर्ष 2017 में यह कार्यक्रम आरम्भ होने के बाद कुछ दूर दृष्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नेतागणों को यह आभास होने लगा था कि सरकार की यह कार्यवाही लम्बी चल सकती है उन्होंने तत्कालिक योजना के तौर पर अल्पकालिक योजना पर विचार किया तथा राजस्थान राज्य की विगत सरकार को अपने प्रयोजन के लिये संतुष्ट किया तथा राज्य की मुख्यमंत्री महोदया को सरकार के अंतिम दिनों में यह समझाने में सफल रहे कि यदि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान कर देती है तो देश के 36 राज्यों में राजस्थान राज्य प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है जिससे प्रदेश के हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को सम्मानजनक रोज़गार प्राप्त हो सकता है एवं राज्य की जनता को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसी गुणकारी चिकित्सा पद्धति का लाभ प्राप्त होगा और राज्य भी स्वास्थ्य सेवाओं के एक बड़े बोझ से हलका हो जायेगा।

जहाँ वर्ष 2017 में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अंतर विभागीय समिति ने कार्य करना प्रारम्भ किया वहीं वर्ष 2018 में राजस्थान विधान सभा द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा बिल पारित किया गया जिसे प्रदेश के राज्यपाल द्वारा स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी, प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पारित बिल 2018 ज्यों के त्यों ठण्डे बस्ते में आराम करने लगा, यदा कदा विधान सभा में इस बिल के सम्बंध में चर्चायें भी होती रहीं परन्तु सकारात्मक कार्य नहीं हो सका।

तत्कालीन सरकार द्वारा इस बिल पर कोई कार्य तो नहीं हुआ लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को कोई आश्वासन भी नहीं मिला अपितु जिन लोगों के प्रयास से यह बिल सदन के पटल पर लाया गया था उन्होंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी निरन्तर बिल को गतिशील बनाने के लिये प्रयास पर प्रयास करते रहे, यहाँ तक कि विधान सभा की 5 वर्ष की अवधि के साथ ही इस बिल ने भी निष्क्रीयता के साथ 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली।

तत्कालीन सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात नई सरकार का राजस्थान में गठन हुआ ज्ञातव्य हो कि यह वही सरकार है जिसने वर्ष 2018 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता बिल पारित किया था, सरकार की रुचि जितनी बिल पारित करने में थी उससे अधिक रुचि से समय मिलने पर इसे लागू करने में लग गई, केवल राज्य सरकार ही नहीं देश के माननीय उपराष्ट्रपति ने भी अपनी सक्रियता इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये दिखायी, चूँकि उपराष्ट्रपति जी स्वयं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से भली भाँति परिचित हैं और वे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से अपना स्वयं इलाज भी करा चुके हैं इसे एक महत्वपूर्ण अवसर पर उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं स्वीकारा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपनी रुचि जब राजस्थान प्रवास के दौरान उन्होंने दिखायी तो प्रदेश के नेतागणों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया।

राज्य की वर्तमान सरकार ने बिल को गतिशील बनाने के लिये वर्तमान बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रविधान करने की घोषणा की है साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन के लिये बिल के प्रविधानों के अनुसार सदस्यों का नामांकन/मनोनयन करने के साथ ही बोर्ड के रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने की भी घोषणा की गयी है, सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि विधान सभा का सत्र समाप्त होने के पश्चात इस कार्य में सरकार सक्रियता ला सकती है, सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्यों के नामांकन/मनोनयन तथा रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बाद स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, सरकार द्वारा घोषणानुसार आवंटित 5 करोड़ की राशि की व्यय का भी निश्चित मद ज्ञात हो पायेगा।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अंतर विभागीय समिति भी सम्भव है कि राजस्थान सरकार की इस पहल का संज्ञान लेते हुये अपनी कार्यवाही को गति देते हुये शीघ्र ही किसी निष्कर्ष पर पहुँच कर अपनी आख्या भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को दे सकती है।

अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार कितनी तेज़ गति से नियमावली, परिनियमावली एवं सहायक नियमावलियों को बनाकर प्रस्तावित बोर्ड के कार्य को गति देती है।

FROM

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति विकास एवं अनुसंधान संस्थान

&

The trusted name

in Electro Homoeopathy

National Drugs & Pharmaceuticals

Importer, Exporter, Manufacturer & Publisher

All kinds of Genuine

Electro Homoeopathic Medicines & Literatures

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014

Email: registrarbehmup@gmail.com

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

द्वारा आदेश प्राप्त देश का एक मात्र संगठन

चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान की वास्तविकता और आवश्यकता

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इसके लिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 21 जून, 2011 व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 4 जनवरी, 2012 को आदेश जारी किये जा चुके हैं इन आदेशों का अनुपालन महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के पत्र दिनांक 2–9–2013 के अनुपालन में क्रियान्वित हो रहे हैं परन्तु प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, फलतः वह अभी भी स्वयं को असुरक्षित सा महसूस कर रहा है जबकि उसे चिकित्सा व्यवसाय हेतु पूर्ण शासकीय आदेश प्राप्त है, इन परिस्थितियों से उबरने के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथों को जागरूक करने हेतु दिनांक 05 अप्रैल, 2015 से प्रदेश में चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान निरन्तर चल रहा है।

चकित्सक कौन है ? यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सामान्य भाषा में जो चिकित्सा कार्य कर रोगी को रोगमुक्त करे उसे चिकित्सक कहते हैं लेकिन कानूनी भाषा में वैधानिक चिकित्सक वह है जो किसी विधि सम्मत ढंग से स्थापित बोर्ड या परिषद अथवा विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित व राज्य में प्रचलित कानूनों के तहत पंजीकृत हो। (ज्ञतव्य हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करती है)।

अधिकार क्या है ?

किसी भी विधा में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु चिकित्सक को उस विधा में पारंगत व पंजीकृत हो, विधा मान्यता प्राप्त या अधिकार प्राप्त हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए 27 मार्च, 1953 को जारी अर्धशासकीय पत्र से स्पष्ट है कि इसे अधिकार प्राप्त है, पत्र के अनुसार आप प्रैक्टिस करें और जनता में लोकप्रियता प्राप्त करें तो सरकार मान्यता देने पर विचार करेगी, इसी प्रकार अधिकारों का सिलसिला चलते–चलते 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश के साथ पटाक्षेप प्राप्त कर चुका है परन्तु अधिकारों के साथ–साथ हमें कर्तव्यों का पालन भी करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनाधिकृत, अप्रशिक्षित व अपंजीकृत चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2000 के अनुपालन में योजित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0वर्मा मुख्य सचिव, उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28–1–2004 के निर्देशानुसार सभी चिकित्सकों का पंजीयन जिले के मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय तथा डिग्री/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं का पंजीयन प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य **उत्तर प्रदेश के यहाँ होना चाहिये।**

स्थिति बदल चुकी है

दिनांक 05–05–2010 को भारत सरकार का आदेश आया जो एक स्पष्टीकरण मात्र था जिसमें लिखा है **प्रैक्टिस एवं एजुकेशन पर रोक नहीं है,** यदि यह भारत सरकार के आदेश दिनांक 25–11–2003 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है **यह कौन सुनेगा ? कौन देखेगा ?** और **कौन लागू करेगा ?** किसी को सम्बोधित एवं प्रेषित नहीं किया गया है **जैसा कि 25 –11–2003 के आदेश में है,** इहमाई के प्रबल प्रयासों के बाद **21 जून, 2011 को सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रशासनों को अति स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं ।**

इसीलिये

तमाम बिन्दुओं पर विचारोपरान्त बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में अधिकार पूर्वक चिकित्सा करने हेतु वाद संख्या 820/2002 में पारित आदेशों के अनुसार हर चिकित्सक को पंजीयन का आवेदन बोर्ड द्वारा गठित ज़िला/क्षेत्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में अवश्य प्रेषित करवाया जाये जिसमें हमें सफ़लता भी मिली है।

यह भी जानना आवश्यक

प्रैक्टिस पर न कभी रोक थी और **न है** और **न ही होगी, क्योंकि राज्य के उचित प्रतिबन्ध के साथ देश के** संविधान के **अनुच्छेद 19(1)g(6),** द्वारा प्रदत्त **यह हमारा मौलिक अधिकार है, परन्तु अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्य भी होते हैं जिनको जानना मात्र आवश्यक ही नहीं है परन्तु इनका पालन भी करना होगा, इसके लिये विधि मान्य संस्था से अर्हताधारी एवं अधिकृत पंजीकृत होना चाहिये तथा** बोर्ड द्वारा गठित ज़िला/क्षेत्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में **पंजीयन हेतु आवेदन प्रेषित होना चाहिये जिससे** अवमाननावाद संख्या 820/2002 में जारी आदेश की अवमानना न हो।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों व जनहित में प्रसारित

बी0 ई0 एच0 एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 128 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–14 से प्रकाशित किया।